वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 299/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ

दिनांक-21.08.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में दिनांक- 21.08.2025 को **थाना फूलपुर पुलिस द्वारा दिनांक 18.08.2025 को थाना क्षेत्रान्तर्गत पोस्ट मास्टर के साथ हुए लूट की घटना में शामिल 01 अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार तथा 01 अन्य अभियुक्त पुलिस हिरासत में। अभियुक्तों के कब्जे से दो अदद अवैध देशी तमन्चा .315 बोर, दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर, तीन अदद खोखा कारतूस .315 बोर, घटना में प्रयुक्त एक अदद सफेद अपाचे मोटर साइकिल, एक अदद लूट की मोबाइल आईटेल कम्पनी, लूट के 4270/- रुपये नगद तथा वादी का आधार कार्ड, पैनकार्ड, तथा लूटा गया बैग जिसमे चार अदद पासबुक,एक अदद रोलदार कापी बरामद किया गया।**

थाना-फूलपुर

दिनांक 18.08.2025 को मुड़ियार से चितरावल रोड पर डाकघर के पोस्ट मास्टर के साथ हुए लूट की घटना में शामिल 01 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार तथा 01 अन्य अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्तों के कब्जे से दो अदद अवैध देशी तमन्चा .315 बोर, दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर, तीन अदद खोखा कारतूस .315 बोर, घटना में प्रयुक्त एक अदद सफेद अपाचे मोटर साइकिल, एक अदद लूट की मोबाइल आईटेल कम्पनी, लूट के 4270/- रुपये नगद तथा वादी का आधार कार्ड, पैनकार्ड, तथा लूटा गया बैग जिसमे चार अदद पासबुक,एक अदद रोलदार कापी बरामद किया गया।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक- 18-08-2025 को वादी **दयाशंकर यादव पुत्र स्व0 रामप्रसाद यादव(पोस्ट मास्टर), सा0 डुबकी, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़** द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि आज **समय लगभग 03:45 बजे** जब मैं **डाकघर मुडियार** से साईकिल से अपने घर ग्राम डुबकी जा रहा था कि **मुडियार से चितरावल रोड पर** जैसे ही बाग के बीचों -बीच पहुँचा ही था कि एक अपाचे मोटरसाइकिल जिस पर तीन व्यक्ति बैठे थे, आये और मेरी साइकिल पर टंगे मेरे बैग को झपट्टा मारकर लेकर लाहीडीह की तरफ भाग गये। मेरे बैग में डाकघर मुडियार **का सरकारी मोबाइल सैमसंग कंपनी का, एक प्राईवेट मोबाइल (आइटेल कम्पनी) की-पैड, एक सरकारी डिवाइस व लगभग 8000 रु0 नगद (आठ हजार) तथा डाकघर के कुछ कागजात** आदि था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 398/25 धारा 304(2) बीएनएस बनाम मोटरसाइकिल सवार 03 व्यक्ति नाम, पता अज्ञात** के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में बरामदगी एवं साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में धारा **304(2) बीएनएस का लोप करते हुए धारा 309(4)/317(2)/61(2) बीएनएस** की बढोत्तरी किया गया तथा अभियुक्तों

1- सलीम पुत्र हबीब, निवासी रौजाअली अस्कान (पठान टोला), थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष ।

2- अंश मौर्या पुत्र शिवकुमार मौर्या, निवासी पुरानी मिर्चा मण्डी कस्बा फूलपुर, थाना फूलपुर, आजमगढ़, उम्र 22 वर्ष।

3. ऋषभ कश्यप पुत्र राजेश कश्यप, निवासी वार्ड नं0 13 मोहल्ला मीर हसनपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

4- अरफात पुत्र मो0 अहमद उर्फ सोनू खान, निवासी ग्राम मुडियार, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 21-08-2025 को **समय लगभग रात्रि 01.10 बजे** थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द मय हमराह के साथ देखभाल क्षेत्र में मामूर होकर जगदीशपुर पुलिया पर मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली की दिनांक 18.08.2025 को डाकघर के पोस्ट मास्टर के साथ लूट करने वाले बदमाश आज फिर किसी आपराधिक घटना को कारित करने के लिये सफेद रंग के अपाची मोटर साइकिल से सरायमीर की तरफ से मनरा के रास्ते फूलपुर की तरफ जायेगे। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल वहाँ से प्रस्थान कर **मनरा गाव की तरफ जाने वाली सड़क तिराहा से 100 मीटर पहले संकट मोचन कुटी के पास** संदिग्ध मोटर साइकिल का इंजतार करने लगे कि कुछ देर बाद एक मोटर साइकिल पर सवार तीन व्यक्ति हम लोगों की तरफ आते हुये दिखाई दिये, जिन्हें पुलिस द्वारा टार्च की रोशनी से इशारा कर रुकने हेतु कहा गया, परन्तु मोटर साइकिल सवार व्यक्ति आचनक पुलिस बल को देखकर अपनी गाडी को तीव्रता से मोड़कर पीछे सरायमीर की तरफ भागना चाहे कि **मनरा, टिकरिया तिराहे** पर मोड़ते समय मोटर साइकिल अनियन्त्रित होकर फिसल कर गिर गयी तो अभियुक्तगण द्वारा झाडी के पीछे छिपते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी, पुलिस द्वारा उक्त तीनों व्यक्तियों को पर्याप्त चेतावनी दिये जाने के पश्चात भी उनके द्वारा पुनः फायरिंग की गयी अतः पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गयी जिसमें एक बदमाश के **दाहिने पैर** में गोली लगी है, जिन्हें उपचार हेतु सीएचसी फूलपुर भेजा गया है व एक बदमाश को मौके पर पकड़ लिया गया तथा एक अन्य बदमाश अंधेरे का लाभ लेकर मौके से भाग गया।

➡घायल/गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान **सलीम पुत्र हबीब, निवासी रौजाअली अस्कान (पठान टोला), थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़** के रूप में तथा पकड़े गये दूसरे अभियुक्त की पहचान **अंश मौर्या पुत्र शिवकुमार मौर्या, निवासी पुरानी मिर्चा मण्डी कस्बा फूलपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़** के रूप मे की गयी।

➡ गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्धि थाना स्थानीय पर **मु0अ0स0- 402/25 धारा 3(5)/109/352/351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण:-

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त सलीम पुत्र हबीब द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मैं व मेरे साथी 01. अंश मौर्या पुत्र शिवकुमार मौर्या, निवासी पुरानी मिर्चा मण्डी कस्बा फूलपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ **02. ऋषभ कश्यप पुत्र राजेश कश्यप, निवासी वार्ड नं0 13 मोहल्ला मीर हसनपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़** तीनों लोग मिलकर असलहे के दम पर छोटी मोटी चोरी एवं लूट की घटनाएं करते हैं। इसी बीच लगभग एक सप्ताह पहले हम लोगों के दोस्त **अरफात पुत्र मो0 अहमद उर्फ सोनू खान, निवासी ग्राम मुडियार, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़** हम लोगों से मिला और बताया कि मेरे गाँव मे डाकखाना है जिसका मुंशी काफी पैसा लेकर रोज सायकिल से आता जाता है, जिसके साथ लूट करने से लगभग 1 से 2 लाख रुपया मिल सकता है। अरफात हम लोगो को साथ लेकर रास्ते की रेकी भी कराया था। घटना से पूर्व भी हम लोग उस मुंशी को लूटने वाले थे लेकिन लोगों के ज्यादा आवागमन के कारण लूट करने मे सफल नही हो सके। दिनांक 18.08.2025 को मुडियार पोस्ट आफिस के मुंशी पोस्ट आफिस से पैसा लेकर जा रहे थे तो हम लोगों ने मुडियार आम के बाग के पास रोड पर उनका बैग छीनकर भाग गये थे। उस बैग में हम लोगों को लगभग 8000/- रुपये नगद तथा एक सैमसंग की मोबाइल टच स्क्रीन व एक कीपैड मोबाइल आईटेल व एक अंगुठा स्कैन करने का डिवाइस और डाकखाने के कुछ कागजात मिले थे। बरामद मोटरसाइकिल के बारे में पूछने पर बताया कि मेरे यहाँ जो लड़के जिम करने आते हैं, उन्हीं लड़कों से बारी-बारी मोटरसाइकिल को किसी न किसी बहाने से मांग कर इस तरह की आपराधिक घटनाएं करता हूँ। यह मोटर साइकिल भी मेरी जिम में आने वाले दीपक कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी इटकोहिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ का है, जिनसे मैने अपनी गर्लफ्रेन्ड से मिलने जाने के बहाने इसे मांगा था।

बरामदगी का विवरण:-

01. दो अदद अवैध देशी तमन्चा .315 बोर
02. दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
03. तीन अदद खोखा कारतूस .315 बोर
04. घटना में प्रयुक्त एक अदद सफेद अपाचे मोटर साइकिल
05. एक अदद लूट की मोबाइल आईटेल कम्पनी
06. लूट के 4270/- रुपये नगद
07. वादी का आधार कार्ड, पैनकार्ड, तथा लूटा गया बैग जिसमे चार अदद पासबुक,एक अदद रोलदार कापी बरामद किया गया।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0- 398/2025 धारा 309(4)/317(2)/61(2) बीएनएस थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ।
02. मु0अ0सं0 - 402/25 धारा 3(5)/109/352/351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

सलीम पुत्र हबीब निवासी रौजाअली अस्कान (पठान टोला) थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

01. मु0अ0सं0- 398/2025 धारा 309(4)/317(2)/61(2) बीएनएस थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ।
02. मु0अ0सं0 - 402/25 धारा 3(5)/109/352/351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

अंश मौर्या पुत्र शिवकुमार मौर्या निवासी पुरानी मिर्चा मण्डी कस्बा फूलपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

01. मु0अ0सं0- 398/2025 धारा 309(4)/317(2)/61(2) बीएनएस थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ।
02. मु0अ0सं0 - 402/25 धारा 3(5)/109/352/351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

01.थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द यादव थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
02.व0उ0नि0 गंगा राम बिन्द थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
03.उ0नि0 अनुराग कुमार पाण्डेय थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
04.हे0का0 अवधेश यादव थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
05.हे0का0 निजामुद्दीन थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
06.का0 अश्वनी यादव थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
07.का0 आदेश यादव थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
08.का0 विनोद कुमार यादव, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
09.का0 ददन कुमार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
10.का0 सौरभ यादव, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
11.का0 राजेश यादव थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
12.म0का0 किरन पाल थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

CHAIN OF CUSTODY